न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 17/2019
दायरा तिथि : 19.03.2019
फैसला तिथि : 12-06.2019

प्रार्थी:–
पुखराज पुत्र दलीचन्दजी जाति राव
निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. अमराराम उर्फ अमरचन्द पुत्र दलीचन्दजी
   जाति राव नि0 लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–
1. श्री मूलसिंह यादव — अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::–   दिनांक 12-06.2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर सह खातेदारी में धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम लुनावा के खसरा नंबर 2048 रकबा 0.78 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने नाम **ओटाराम** को त्रुटिपुर्ण बताते हुये अपना सही व शुद्ध नाम **पुखराज** अन्य दस्तावेजों में दर्ज अनुसार दुरस्ती के माध्यम से शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य धारित सह खातेदारी भूमि का भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान की प्रति, जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशनकार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति, बैंक खाता के पासबुक की फोटो प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत लुनावा द्वारा जारी आबादी भूमि का पट्टा की फोटो प्रति, एल.आई.सी. प्रिमियम जमा कराने की रसीद की फोटो प्रति, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लुनावा द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की। इन दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य प्रार्थी स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या–01 के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबध में जांच रिपोर्ट निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी से तलब की गई, एवं साथ ही हितबद्ध पक्ष अप्रार्थी संख्या–01 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 अमराराम उर्फ अमरचन्द ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुये ईकबालिया जवाब पेश किया। निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि आवेदक के आधार कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रति में प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र दलीचन्द कौम राव दर्ज है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर सह खातेदार ओटाराम पुत्र दलीचन्द दर्ज है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पुखराज होना बताया, जिस नाम का इन्द्राज स्कूलिंग रेकर्ड जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेजो में हैं, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में **त्रुटिपुर्ण नाम ओटाराम** दर्ज कर दिया गया, जो त्रुटिपुर्ण नाम वर्तमान अधिकार

पेज लगातारकृ02

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 17/2019 अनवान पुखराज बनाम अमराराम उर्फ अमरचन्द
<u>वगैरा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956</u>

अभिलेखों में बदस्तुर चल रहा हैं। अतः दुरस्ती के माध्यम से **प्रार्थी का सही नाम पुखराज** राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की दलील दी गई। पेरोकार सरकार द्वारा वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम पुखराज पुत्र दलीचन्द राव है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशनकार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति, बैंक खाता की पासबुक की फोटो प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत लुनावा द्वारा आबादी भूमि का पट्टा की फोटो प्रति, एल.आई.सी. प्रिमियम जमा कराने की रसीद की फोटो प्रति, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लुनावा द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियों में दर्ज इन्द्राज से भी होती हैं। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू.–01 प्रार्थी एवं गवाह पी.डब्लू–02 अमराराम भी अपने बयानो में इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रार्थी का **सही व शुद्ध नाम पुखराज** हैं, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् दाखिल एवं स्वीकृत नामा0करण से उक्त त्रुटिपुर्ण नाम दर्ज हुआ हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते है। इस प्रकार तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविंक नाम पुखराज पुत्र दलीचन्द हैं, लेकिन वादग्रस्त भूमि ग्राम लुनावा के खसरा नंबर 2048 रकबा 0.78 हैक्टर में प्रार्थी का नाम **त्रुटिपुर्ण तौर पर ओटाराम** दर्ज हैं। जिसको शुद्ध किया जाना उचित एवं लाजमी प्रतीत हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम लुनावा स्थित भूमि खसरा नंबर 2048 रकवा 0.78 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम ओटाराम** के स्थान पर प्रार्थी का **सही नाम पुखराज पुत्र दलीचन्द** बतौर सह खातेदार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लुणावा आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। इस हेतु आदेश प्रति संबधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप-खण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 12-6-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली
उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner